प्रेस नोट दिनांक- 26.08.2025 जनपद प्रतापगढ़

थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ़

उ0नि0 वनवारी लाल पाल व बीट आरक्षी का0 अजीत सिंह यादव की सतर्कता से 04 गैंगस्टर अभियुक्तों को किया गिरफ्तार

थाना हथिगवां के उ0नि0 वनवारी लाल पाल व बीट आरक्षी का0 अजीत सिंह यादव ने गैंगस्टर अभियुक्तों पर कसा शिकंजा

उ0नि0 वनवारी लाल पाल व बीट आरक्षी का0 अजीत सिंह यादव ने साये की तरह बिछाए रखी अपनी पैनी नजर

एसपी द्वारा अपराधी की पतारसी सुरागरसी के लिये थाना हथिगवां के उ0नि0 वनवारी लाल पाल व बीट आरक्षी का0 अजीत सिंह यादव को दिया जाएगा ईनाम व प्रशस्ति-पत्र

थाना हथिगवां पुलिस द्वारा क्षेत्रान्तर्गत उनके घर के पास से गैंगस्टर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार गैंगस्टर अभियुक्तों पर मारपीट, गोवध अधि0, पशु क्रूरता, गैंगस्टर एक्ट जैसे संगीन अपराधों में अभ्यस्त

जनपद में अपराध नियंत्रण/ संगीन धाराओं में संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु बीट पुलिसिंग प्रणाली को मजबूत किया जा रहा है-

इसी क्रम में बहादुर उ0नि0 वनवारी लाल पाल व बीट आरक्षी का0 अजीत सिंह यादव के सहयोग से थाना हथिगवां पुलिस द्वारा मु0अ0सं0- 165/2025 धारा 2/3 यू0पी0 गैंगस्टर एक्ट थाना हथिगवां, जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 04 अभियुक्तों, 01. हरिशंकर केसरवानी उर्फ नान बच्चा पुत्र भाईलाल केसरवानी निवासी ग्राम शाहाबाद थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़, 02. पारसनाथ यादव पुत्र देवतादीन यादव निवासी ग्राम लक्ष्मणपुर मजरे जहानाबाद थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ़, 03. लल्लू राम यादव पुत्र गयादीन यादव निवासी ग्राम लक्ष्मणपुर मजरे जहानाबाद थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ़, 04. रामलखन यादव उर्फ दिल्ली पुत्र स्व0 माताभीख यादव निवासी ग्राम लक्ष्मणपुर मजरे जहानाबाद थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ़ को थाना हथिगवां क्षेत्रान्तर्गत उनके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गैंगस्टर एक्ट के गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1- अभियुक्त हरिशंकर केसरवानी उर्फ नान बच्चा पुत्र भाईलाल केसरवानी निवासी ग्राम शाहाबाद थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़ का आपराधिक इतिहास-

01. मु0अ0सं0 189/2017 धारा 279/337/338/304Aभादवि थाना मानिकपुर, जनपद प्रतापगढ़।
02. मु0अ0सं 137/2023 धारा 323/504/506 भादवि थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़।
03. मु0अ0सं 54/2025 धारा 318(2)/336(3)/61(2) बीएनएस व 3/5A/8 गोवध अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0 थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ़।
04. मु0अ0सं 165/25 धारा 2/3 गैंगेस्टर एक्ट थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ़।

2- अभियुक्त पारसनाथ यादव पुत्र देवतादीन यादव निवासी ग्राम लक्ष्मणपुर मजरे जहानाबाद थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ़ का आपराधिक इतिहास-

01. मु0अ0सं 54/2025 धारा 318(2)/336(3)/61(2) बीएनएस व 3/5A/8 गोवध अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0 थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ़।
02. मु0अ0सं 165/25 धारा 2/3 गैंगेस्टर एक्ट थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ़।

3- अभियुक्त लल्लू राम यादव पुत्र गयादीन यादव निवासी ग्राम लक्ष्मणपुर मजरे जहानाबाद थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ़ का आपराधिक इतिहास-
01. मु0अ0सं 54/2025 धारा 318(2)/336(3)/61(2) बीएनएस व 3/5A/8 गोवध अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0 थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ़।
02. मु0अ0सं 165/25 धारा 2/3 गैंगेस्टर एक्ट थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ़।

4- अभियुक्त रामलखन यादव उर्फ दिल्ली पुत्र स्व0 माताभीख यादव निवासी ग्राम लक्ष्मणपुर मजरे जहानाबाद थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ़ का आपराधिक इतिहास-
01. मु0अ0सं 54/2025 धारा 318(2)/336(3)/61(2) बीएनएस व 3/5A/8 गोवध अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0 थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ़।
02. मु0अ0सं 165/25 धारा 2/3 गैंगेस्टर एक्ट थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम-
प्रभारी निरीक्षक हथिगवां श्री नन्दलाल सिंह मय हमराह उ0नि0 अजय कुमार व हे0का0 संग्राम सिंह, का0 गौरव सिंह व म0का0 पूजा मय चालक का0 अमित कुमार सिंह थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ़।

थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़।
थाना लीलापुर पुलिस द्वारा मारपीट/जानलेवा हमले के अभियोग में नामजद 01 अभियुक्त गिरफ्तार
पुलिस अधीक्षक के निर्देशन पर थाना लीलापुर पुलिस की त्वरित गिरफ्तारी
थाना लीलापुर पुलिस द्वारा अभियुक्त को थाना लीलापुर क्षेत्रान्तर्गत हरिहरपुर कैलहा जाने वाले मार्ग के पास से गिरफ्तार किया गया है।

वादिनी निवासी ग्राम- हरिहरपुर कैलहा थाना-लीलापुर जनपद-प्रतापगढ द्वारा थाना लीलापुर पर तहरीर दी गई थी, कि दिनांक 23.08.2025 को वादिनी द्वारा ई-रिक्शा से घर का सामान लाया जा रहा था। रिक्शा जब गांव के कल्लू पुत्र मोहन के घर के सामने से घूम रहा था तो उसने विरोध किया। उसी दौरान गांव के आरोपीगण हमलावर होकर गये तथा शनी द्वारा वादिनी के पति के सिर पर लाठी से मारने लगे जिससे वादिनी के पति का सिर पट गया तथा वादिनी के लड़कों को भी मारकर लहुलुहान कर देना तथा लाठी–डण्डे से जान से मारने की नियत से मार-पीटकर, मरा समझकर गाली-गालियां करते हुए जान से मारने की धमकी दी गई। जिसके संबंध में वादिनी की तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 -209/25 धारा 191(2)/3(5)/131/115(2)/352/109(1)/351(3) बीएनएस बनाम 07 नामजद निवासीगण ग्राम हरिहरपुर कैलहा थाना-लीलापुर, जनपद-प्रतापगढ़ का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) श्री संजय राय व क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री आशुतोष मिश्रा के कुशल पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी लीलापुर श्री मनोज कुमार पाण्डेय के नेतृत्व में उ0नि0 शहंशाह खान मय हमराह हे0का0 एजाज अहमद, का0 सौरभ पाण्डेय द्वारा देखभाल क्षेत्र तलाश वांछित वारन्टी के दौरान मुखबिर की सूचना पर थाना रानीगंज के मु0अ0सं0 -209/25 धारा 191(2)/3(5)/131/115(2)/ 352/109(1)/351(3) बीएनएस से संबंधित 01 अभिषेक पुत्र पन्नालाल उर्फ पप्पू उम्र 19 वर्ष निवासी हरिहरपुर कैलहा थाना-लीलापुर,जनपद-प्रतापगढ़ को थाना लीलापुर क्षेत्रान्तर्गत हरिहरपुर कैलहा जाने वाले मार्ग के पास से गिरफ्तार किया गया है।

पूछताछ का विवरण-
अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि दिनांक 23.08.2025 को जो हमारे गांव में लाठी-डण्डे से मारपीट की जो घटना हुई थी उसमें मैं भी था। हम सभी लोग घटना के बाद भाग गये थे किन्तु आज मैं छिप-छिपाकर अपने घर जा रहा था कि आपको लोगों ने पकड़ लिया। हमसे गलती हो गयी है हमें माफ कर दिजिये। घटना में प्रयुक्त लाठी-डण्डा के बारे में पुछा गया तो बताया कि मारपीट के बाद मैं लाठी लेकर भागा था, रास्ते में कही फेक दिया था।

अभियुक्त का विवरण-
01- अभिषेक पुत्र पन्नालाल उर्फ पप्पू उम्र 19 वर्ष निवासी हरिहरपुर कैलहा थाना-लीलापुर,जनपद-प्रतापगढ़।

पुलिस टीम का विवरण-
उ0नि0 शहंशाह खान मय हमराह हे0का0 एजाज अहमद, का0 सौरभ पाण्डेय थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़।

थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़
प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध निरंतर प्रभावी कार्यवाही जारी

थाना कोतवाली नगर पुलिस की बड़ी सफलता – 05 जिन्दा देशी बम के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार

अभियुक्त राजू सोनी उर्फ बोचा का लंबा आपराधिक इतिहास उजागर

अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) व क्षेत्राधिकारी नगर के पर्यवेक्षण में की गई कार्यवाही

गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध विस्फोटक अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में चल रहा अभियान रंग ला रहा है

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल व सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी नगर श्री प्रशान्त राज के कुशल पर्वेक्षण में थाना कोतवाली नगर प्रभारी निरीक्षक श्री नीरज

कुमार यादव के नेतृत्व में उपनिरीक्षक अनूप कुमार यादव का0 सचिन कुमार,का० अमित शुक्ला व का० हेमंत कुमार द्वारा देखभाल क्षेत्र संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान, मुखबिर की सूचना पर दिनांक 26.08.2025 को रात्रि में थाना क्षेत्र कोतवाली नगर के भूलियापुर ईदगाह के बगल, सडक किनारे के पास से 01 अभियुक्त 1. राजू सोनी उर्फ बोचा पुत्र पंचू सोनी निवासी गुलशने मदीना मस्जिद पलटन बाजार थाना कोतवाली नगर प्रतापगढ़ उम्र करीब 30 वर्ष को 05 अदद जिन्दा देशी बम नाजायज के साथ गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त के पास से 05 अदद जिन्दा देशी बम नाजायज की बरामदगी के संबंध में थाना कोतवाली नगर में मु0अ0सं0 412/25 धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
राजू सोनी उर्फ बोचा पुत्र पंचू सोनी निवासी गुलशने मदीना मस्जिद पलटन बाजार थाना कोतवाली नगर प्रतापगढ़ उम्र करीब 30 वर्ष

बरामदगी-
05 अदद जिन्दा देशी बम नाजायज।

आपराधिक इतिहास राजू सोनी उर्फ बोचा पुत्र पंचू सोनी निवासी गुलशने मदीना मस्जिद पलटन बाजार थाना कोतवाली नगर प्रतापगढ़

1. मु0अ0सं0 006/2020 धारा 4, 5 विस्फोटक अधि0 थाना कोतवाली सिटी प्रतापगढ़
2. मु0अ0सं0 021/2016 धारा 147, 148, 332, 353, 504, 506 भादवि थाना कोतवाली सिटी प्रतापगढ़
3. मु0अ0सं0 225/2019 धारा 20, 8 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली सिटी प्रतापगढ़
4. मु0अ0सं0 226/2019 धारा 25/3 आयुध अधि0 थाना कोतवाली सिटी प्रतापगढ़
5. मु0अ0सं0 263/2018 धारा 25/3 आयुध अधि0 थाना कोतवाली सिटी प्रतापगढ़
6. मु0अ0सं0 1083/2015 धारा 25/3 आयुध अधि0 थाना कोतवाली सिटी प्रतापगढ़
7. मु0अ0सं0 1088/2019 धारा 354, 504, 506 भादवि थाना कोतवाली सिटी प्रतापगढ़
8. मु0अ0सं0 288/2017 धारा 120-B, 147, 307, 323, 452 भादवि थाना कोतवाली सिटी प्रतापगढ़
9. मु0अ0सं0 499/2016 धारा 2(B)(ii)/3 गैंगेस्टर एक्ट थाना कोतवाली सिटी प्रतापगढ़
10. मु0अ0सं0 1081/2015 धारा 25/3 आयुध अधि0 थाना कोतवाली सिटी प्रतापगढ़
11. मु0अ0सं0 1054/2015 धारा 307, 504 भादवि थाना कोतवाली सिटी प्रतापगढ़
12. मु0अ0सं0 1082/2015 धारा 323, 324, 504, 506, 427 भादवि थाना कोतवाली सिटी प्रतापगढ़
13. मु0अ0सं0 1084/2015 धारा 302 भादवि व 3(2)(5) SC/ST एक्ट थाना कोतवाली सिटी प्रतापगढ़
14. मु0अ0सं0 746/2014 धारा 307 भादवि थाना कोतवाली सिटी प्रतापगढ़

पुलिस टीम का विवरण-
उपनिरीक्षक अनूप कुमार यादव का0 सचिन कुमार,का० अमित शुक्ला व का० हेमंत कुमार थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़।

थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़।

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी

दुष्कर्म एवं पाक्सो एक्ट के अभियोग से जुड़े 02 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

बीएनएस की धारा 64(1), 352, 351(3), 61(2) एवं 3/4 पाक्सो एक्ट के तहत अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही

थाना लालगंज पुलिस की बड़ी सफलता – राजेन्द्र नगर चौराहा से गिरफ्तारी

अभियुक्त जय कौशल व अजय मिश्रा उर्फ दीपक को पुलिस ने दबोचा

पुलिस अधीक्षक डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में अपराधियों पर शिकंजा

अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी व क्षेत्राधिकारी लालगंज के पर्यवेक्षण में कार्रवाई संपन्न।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री संजय राय व क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री आशुतोष मिश्रा के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी लालगंज श्री प्रदीप कुमार के नेतृत्व में थाना लालगंज के उ0नि0 बृजेश कुमार मय हमराह कां0 छत्रपाल, कां0 नीरज कुमार, कां० श्रवण कुमार द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वारण्टी, वाछित अभियुक्त के दौरान, मुखबिर की सूचना पर अन्तर्गत धारा 64(1), 352, 351(3), 61(2) बीएनएस व 3/4 पाक्सो एक्ट थाना लालगंज से संबंधित 02 वांछित अभियुक्त 01. जय कौशल पुत्र विजय कुमार कौशल उम्र 48 वर्ष नि0ग्राम बाजार खास, हनुमान मंदिर के बगल, थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ 2- अजय मिश्रा उर्फ दीपक पुत्र स्व० काशीप्रसाद मिश्रा उम्र-37 वर्ष नि०ग्राम हुलासगढ़, थाना लालगंज प्रतापगढ को थाना लालगंज क्षेत्रान्तर्गत राजेन्द्र नगर चौराहा के पास से गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

01. जय कौशल पुत्र विजय कुमार कौशल उम्र 48 वर्ष नि0ग्राम बाजार खास,हनुमान मंदिर के बगल, थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़

2- अजय मिश्रा उर्फ दीपक पुत्र स्व० काशीप्रसाद मिश्रा उम्र-37 वर्ष नि०ग्राम हुलासगढ़, थाना लालगंज प्रतापगढ।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 बृजेश कुमार मय हमराह कां0 छत्रपाल, कां0 नीरज कुमार, कां० श्रवण कुमार थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़।

थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़ ।

प्रतापगढ़ पुलिस का अपराध व अपराधियों पर प्रभावी प्रहार

थाना रानीगंज पुलिस द्वारा दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट व आईटी एक्ट से संबंधित वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

शेखूपुर नहर पुलिया के पास से आरोपी गिरफ्तार, मोबाइल फोन बरामद

एसपी प्रतापगढ़ के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान में मिली सफलता

एएसपी पूर्वी व सीओ रानीगंज के पर्वेक्षण में रानीगंज पुलिस की कार्यवाही।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल व क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री विनय प्रभाकर साहनी के कुशल पर्वेक्षण में थाना रानीगंज प्रभारी निरीक्षक श्री प्रभात कुमार सिंह मय हमराह का0 प्रदीप कुमार व का० आयुश यादव चालक हे का0 कमलेश सिंह यादव द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वारण्टी, वाछित अभियुक्त के दौरान, मुखबिर की सूचना पर अन्तर्गत धारा 75 (2)/78 (1)/352/351 (3)/64 (च)/65 (1) बीएनएस व 5F/6/11/12 पक्सो एक्ट थाना रानीगंज से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त कमलेश यादव पुत्र राम फुलार उम्र करीब 24 वर्ष निवासी सुजानपुर थाना बादशाहपुर जनपद जौनपुर हाल पता रामापुर थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़ को थाना रानीगंज क्षेत्रान्तर्गत शेखूपुर नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया है । गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोबाइल फोन बरामद किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
कमलेश यादव पुत्र राम फुलार उम्र करीब 24 वर्ष निवासी सुजानपुर थाना बादशाहपुर जनपद जौनपुर हाल पता रामापुर थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़

पुलिस टीम का विवरण-
प्रभारी निरीक्षक श्री प्रभात कुमार सिंह मय हमराह का0 प्रदीप कुमार व का० आयुश यादव चालक हे का0 कमलेश सिंह यादव थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना अन्तू, जनपद प्रतापगढ़

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा लगातार अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी

थाना अन्तू पुलिस द्वारा धोखाधड़ी एवं गबन के अभियोग से संबंधित वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

03 करोड़ रुपये के गबन प्रकरण में मुख्य आरोपी गिरफ्तार

फर्जी पर्ची व कूटरचना कर गबन करने वाले आरोपी पर पुलिस की कार्यवाही

एसपी प्रतापगढ़ के निर्देश पर एएसपी पूर्वी व सीओ नगर के पर्यवेक्षण में अन्तू पुलिस की बड़ी सफलता

प्रतापगढ़।
प्रार्थिनी निवासी मीरा भवन थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ के नाम से संचालित शिवम ऑटो मोबाइल पेट्रोल पम्प पर कार्यरत मैनेजर रोहित सिंह व अन्य तीन सहकर्मी राजेन्द्र बहादुर सिंह, राहुल सिंह व अजय मिश्रा द्वारा अक्टूबर 2018 से फरवरी 2025 तक पुलिस विभाग प्रतापगढ़ को आपूर्ति किए गए तेल की फर्जी पर्चियाँ लगाकर तथा रजिस्टर में कूटरचना कर लगभग 03 करोड़ रुपये का गबन किया गया। जब आवेदिका द्वारा रजिस्टर व हिसाब मांगा गया तो अभियुक्तगण रजिस्टर चोरी कर ले गए और धमकी देते हुए गाली-गलौज कर प्रार्थिनी को जान से मारने की धमकी दी। इस आधार पर थाना अन्तू पर मु0अ0सं0 197/2025 धारा 420, 467, 468, 471, 504, 506 भादवि बनाम चार नामजद अभियुक्त पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री दुर्गेश कुमार सिंह व सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी नगर श्री प्रशान्त राज के पर्यवेक्षण में थाना अन्तू प्रभारी निरीक्षक श्री आनन्द पाल सिंह के नेतृत्व में निरी० विनोद कुमार यादव मय हमराह का० बौद्ध प्रकाश, म० का० दीपिका त्रिपाठी का उपेन्द्र यादव द्वारा देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर अभियोग उपरोक्त से सम्बन्धित 01 अभियुक्त रोहित सिंह उर्फ मोनू सिंह पुत्र राजेन्द्र बहादुर सिंह निवासी भगवा चुंगी सहोदरपुर पश्चिमी थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ को थाना कोतवाली नगर पुलिस के सहायोग से उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त के विरुद्ध थाना अन्तू में मु0अ0सं0 197/2025 धारा 420, 467, 468, 471, 504, 506 भादवि पंजीकृत है। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को अग्रिम कार्यवाही हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
1. रोहित सिंह उर्फ मोनू सिंह पुत्र राजेन्द्र बहादुर सिंह निवासी भगवा चुंगी सहोदरपुर पश्चिमी थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-
निरी० विनोद कुमार यादव मय हमराह का० बौद्ध प्रकाश,म० का० दीपिका त्रिपाठी का उपेन्द्र यादव थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़

थाना अन्तू, जनपद प्रतापगढ़
प्रतापगढ़ पुलिस की अपराधियों पर लगातार सख्त कार्यवाही

थाना अन्तू पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास के मामले में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

मु0अ0सं0 371/18 धारा 307 भादवि से संबंधित आरोपी गिरफ्तार

शुकुलकर चौराहे से पुरेगरीब दास रोड पर दबिश देकर पुलिस ने पकड़ा आरोपी

एसपी प्रतापगढ़ के निर्देश पर एएसपी पूर्वी व सीओ नगर के पर्यवेक्षण में अन्तू पुलिस की कार्रवाई

प्रतापगढ़।
थाना अन्तू में पंजीकृत मु0अ0सं0 371/18 धारा 307, 34, 504, 506 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री दुर्गेश कुमार सिंह व सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी नगर श्री प्रशान्त राज के पर्यवेक्षण में थाना अन्तू प्रभारी निरीक्षक श्री आनन्द पाल सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 शैलेश सिंह मय हमराही का० संदीप यादव द्वारा देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर अभियोग उपरोक्त से सम्बन्धित 01 अभियुक्त गुड्ड चैहान पुत्र राकेश चैहान निवासी खूंटा घाट थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़ को थानाक्षेत्र अन्तू के शुकुलकर चैराहे से पुरेगरीब दास सडक से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त के विरुद्ध थाना अन्तू में मु0अ0सं0 371/18 धारा 307, 34, 504, 506 भादवि पंजीकृत है। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को अग्रिम कार्यवाही हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
1. गुड्ड चैहान पुत्र राकेश चैहान निवासी खूंटा घाट थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-
उ0नि0 शैलेश सिंह मय हमराह का० संदीप यादव थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़

थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़।
प्रतापगढ़ पुलिस का अपराधियों पर लगातार प्रभावी प्रहार

थाना लालगंज पुलिस द्वारा दुष्कर्म प्रकरण से संबंधित वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

विकास नगर चौराहे के पास से आरोपी इन्द्रजीत उर्फ भुल्ले दबोचा गया

धारा 87/69 BNS के मामले में पुलिस की कार्रवाई

एसपी प्रतापगढ़ के निर्देशन में एएसपी पश्चिमी व सीओ लालगंज के पर्यवेक्षण में लालगंज पुलिस को सफलता

घटना का संक्षिप्त विवरण-
दिनांक 18.08.2025 को थाना लालगंज में वादी की प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लालगंज में धारा 87/69 बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

प्रतापगढ़।
पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री संजय राय व क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री आशुतोष के पर्यवेक्षण में थाना लालगंज प्रभारी निरीक्षक श्री प्रदीप कुमार के नेतृत्व में उ0नि0 विवेक कुमार मय हमराह कां0 ऋषिकांत इंदौलिया द्वारा तलाश वांछित वारण्टी, अभियुक्त के दौरान, मुखबिर की सूचना पर वांछित अभियुक्त इन्द्रजीत उर्फ भुल्ले पुत्र राजाराम नि० ग्राम विश्राम का पुरवा, जेवई,थाना लालगंज प्रतापगढ़ को थानाक्षेत्र लालगंज के विकास नगर चौराहा के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
इन्द्रजीत उर्फ भुल्ले पुत्र राजाराम नि० ग्राम विश्राम का पुरवा, जेवई,थाना लालगंज प्रतापगढ़

पुलिस टीम-
उ0नि0 विवेक कुमार मय हमराह कां0 ऋषिकांत इंदौलिया थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना कंधई, जनपद प्रतापगढ़ ।
पुलिस अधीक्षक डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन में थाना कंधई पुलिस द्वारा चोरी के अभियोग से संबंधित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

अभियुक्त को उसकी मोबाइल की दुकान गुप्ता मोबाइल शॉप स्थित ग्राम सिंघावल थाना सिंगरामऊ जनपद जौनपुर के पास से गिरफ्तार किया गया है ।

घटना का संक्षिप्त विवरण-
दिनांक 20.12.2024 को वादी निवासी ग्राम पूरेधनी, थाना आसपुर देवसरा, जनपद प्रतापगढ़ की पत्नी द्वारा एक आर्टिका वाहन कमलाकान्त दूबे पुत्र राजेन्द्र प्रसाद दूबे निवासी कबेली, थाना सिंहरामऊ, जनपद जौनपुर से खरीदा गया था। दिनांक 15.05.2025 को वादी का साला उक्त वाहन को लेकर अपने साथियों के साथ धूती निवासी की नातिन की शादी में शामिल होने गया था। रात्रि में विवाह समारोह स्थल के पास बाग में वाहन खड़ा कर लॉक करके वह समारोह में चला गया। उसके पश्चात जब वह वापस लौटा तो वाहन मौके से गायब मिला। अज्ञात व्यक्ति/व्यक्तियों द्वारा वाहन चोरी कर लिया गया था। जिसके संबंध में वादी की तहरीर के आधार पर थाना कंधई पर मु0अ0सं0 116/ 2025 धारा 303 (2) बीएनएस बनाम 03 नामजद का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डा॰0 अनिल कुमार द्वारा अभियुक्त वांछित अपराधी की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल व क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री मनोज कुमार सिंह रघुवंशी के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी कंधई श्री गुलाब सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 दीपक कुमार मय हमराह का0 अभिनव देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित अभियुक्त के दौरान, मु0अ0सं0 116 / 2025 धारा 303(2),318 (4) बीएनएस थाना कंधई, जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित अभियुक्त विकास गुप्ता पुत्र सदाब्ज गुप्ता नि० ग्राम भूला थाना सिंगरामऊ जनपद जौनपुर उम्र करीब 24 वर्ष को उसकी मोबाइल की दुकान गुप्ता मोबाइल शॉप स्थित ग्राम सिंघावल थाना सिंगरामऊ जनपद जौनपुर के पास से गिरफ्तार किया गया है।

इससे पूर्व 01 अभियुक्त कमलाकान्त दूबे पुत्र राजेन्द्र प्रसाद दूबे उर्फ लल्लू निवासी कबेली थाना सिंगरामऊ जनपद जौनपुर उम्र करीब 30 वर्ष को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से उक्त चोरी की 01 अदद अर्टिगा वाहन की बरामदगी की गई थी।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
विकास गुप्ता पुत्र सदाब्ज गुप्ता नि० ग्राम भूला थाना सिंगरामऊ जनपद जौनपुर उम्र करीब 24 वर्ष।

पुलिस टीम-
उ0नि0 दीपक कुमार मय हमराह का0 अभिनव थाना कंधई, जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़।
थाना लालगंज पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना लालगंज के उ0नि0 विनोद कुमार चौरसिया मय हमराह कां0 राहुल यादव, हो0गा0 राजेन्द्र प्रसाद कोरी के द्वारा जांच प्रार्थना पत्र, देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त, मुखबिर की सूचना पर परिवाद सं0 1131/25 धारा 138 एन0आई0 एक्ट थाना लालगंज से संबंधित 01 वारंटी अभियुक्त रमेश चन्द्र जायसवाल पुत्र बद्री प्रसाद जायसवाल नि० ग्राम तेलियानी (रोठा नेवडिया) थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ को महिमापुर नहर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
रमेश चन्द्र जायसवाल पुत्र बद्री प्रसाद जायसवाल नि० ग्राम तेलियानी (रोठा नेवडिया) थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़

पुलिस टीम-
उ0नि0 विनोद कुमार चौरसिया मय हमराह कां0 राहुल यादव, हो0गा0 राजेन्द्र प्रसाद कोरी थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़।